

न्यायालय कक्ष

नस्ती कमांक/प्रशा.-1/154/न्याया./154/

अ.प्र.मु.व.स.(प्रशा.-1)

पृष्ठ संख्या 1

विषय : ओ0ए0 नं0 296/2016 द्वारा श्री ए.के. भूगांवकर विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजने बाबत।

वि.पत्र - मु.व.सं., मध्य वृत्त जबलपुर का पत्र कमांक/विधि/2304 दिनांक 14.03.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत ओ0ए0 नं0 296/2016 द्वारा श्री ए.के. भूगांवकर द्वारा म.प्र.शासन, वन विभाग भोपाल के स्थानांतरण आदेश दिनांक 5.3.2016 के विरुद्ध याचिका मान. केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में सुनवाई दिनांक 11.3.16 को मान. केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा की गई एवं प्रतिवादी पक्षकारों को नोटिस भेजने के साथ प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उक्त प्रकरण की आगामी सुनवाई 30.3.16 निर्धारित की गई है।

अतः उक्त प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें। याचिका की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- पृष्ठ 01 से तक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1)

पदेन सचिव, वन (आई.डी.सी.)

उपरोक्त प्रस्तावानुसार 01C की नियुक्ति की जाकर नस्ती पक्ष समर्थन हेतु विधि विभाग को अंशित की जाती है। कृपया पक्ष समर्थन का आदेश जारी करने का कष्ट करें।

विधि विभाग

पदेन सचिव 8.5.16
वन विभाग की सी

न्यायालय कक्ष

अ.प्र.मु.व.स.(प्रशा.-I)

पृष्ठ संख्या

नस्ती क्रमांक/प्रशा.-1/153/न्याया./

विषय : ओ0ए0 नं0 296/2016 द्वारा श्री ए.के. भूगांवकर विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजने बाबत।

1

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE
TRIBUNAL AT JABALPUR

OA NO. 296 /2016.

APPLICANT : A.K. Bhugaonkar

-Vs.-

RESPONDENTS: Union of India and others.

I N D E X

Sl.No	Particulars	Annexure No.	Page No.
1	Index, Synopsis, Original Application.		1-10
2	Copy of the impugned order dated 5.3.2016.	A/1	11-14
3	Copy of order dated 29 December 2015	A/2	15-16
4	Copies of relevant communications of joining	A/3	17-18
5	Copy of the relevant notification dated 02.07.2015	A/4	19-21
6	Copy of the representation dated 08.03.2016	A/5	22-23
7	Vakalatnama		24

JABALPUR
DATE: 8/3/16


A. Gupta
COUNSEL FOR APPLICANT.

CF to CCF

Senior CF - working Plan is to be made.
- Room is CCF

19-3-16

1

**BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE
TRIBUNAL AT JABALPUR**

OA NO. 296 /2016.

APPLICANT : A.K. Bhugaonkar

-Vs.-

RESPONDENTS: Union of India and others.

I N D E X

Sl.No	Particulars	Annexure No.	Page No.
1	Index, Synopsis, Original Application.		1-10
2	Copy of the impugned order dated 5.3.2016.	A/1	11-14
3	Copy of order dated 29 December 2015	A/2	15-16
4	Copies of relevant communications of joining	A/3	17-18
5	Copy of the relevant notification dated 02.07.2015	A/4	19-21
6	Copy of the representation dated 08.03.2016	A/5	22-23
7	Vakalatnama		24

JABALPUR
DATE: 8/3/16

[Signature]
A. Gupta
COUNSEL FOR APPLICANT.

CP to CCF

Senior CP - working Plan is to be made.

- Rony is CCF

**BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE
TRIBUNAL AT JABALPUR**

OA NO. _____/2016

APPLICANT : A.K. Bhugaonkar


-Vs.-

RESPONDENTS: Union of India and others.

SYNOPSIS

1. The applicant was shocked and surprised to see that vide impugned order dated 05.03.2016 Annexure A/1 whereby the State Government has transferred applicant from Sagar to Khandwa without application of mind.
2. That it is pertinent to mention here that the applicant was promoted to Chief Conservator of Forest vide order dated 29 December 2015. The applicant is also due for his superannuation on 30.09.2016, hence now the applicant has left with five to six months before his retirement.
3. That being aggrieved by the same applicant represented the matter to the respondents. But to no avail.

JABALPUR
DATE: 8/3/16


COUNSEL FOR APPLICANT.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 100

भोपाल, दिनांक: 18/03/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, जबलपुर को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर की याचिका क्रमांक/296/2016 द्वारा श्री भूगांवकर विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में शासन की ओर से म.प्र. राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से प्रभारी करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।

- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(अजीत के. श्रीवास्तव) 16
सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक : 18/03/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 100

प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल।
3. जिलाध्यक्ष जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र।
4. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, जबलपुर प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित कर साथ ही शासकीय अधिवक्ता से व्यक्तिगत भेंट कर संबंधित न्यायालय में दिनांक 30.03.2016 के पूर्व जबाबदावा प्रस्तुत करने "उपस्थिति प्रमाण पत्र" प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
5. ~~मुख्य वन संरक्षक (अशम-1) मध्य प्रदेश~~ की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त जबलपुर म.प्र।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1) की ओर उनकी अशासकीय टीप क्रमांक/105 दिनांक 17.03.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।
8. उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर।
10. शासकीय अधिवक्ता, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।


सचिव
वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग